<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 01.11.2022</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

<u>पुलिस लाइन खीरी में आगामी विधानसभा उपचुनाव 2022 के दृष्टिगत ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को ब्रीफ किया गया</u>

गोला विधानसभा उपचुनाव 2022 के दृष्टिगत दिनांक 03.11.2022 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत आज दिनांक 01.11.2022 को जिलाधिकारी खीरी, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संजीव सुमन द्वारा पुलिस लाइन खीरी में मतदान सम्पन्न कराने में लगे समस्त पुलिसकर्मियों व अर्धसैनिक बलों के जवानों को चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

यातायात माह, नवम्बर-2022 का शुभारम्भ

आज दिनांक 01.11.2022 को जनपद खीरी में “यातायात माह, नवम्बर-2022” का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी खीरी, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संजीव सुमन द्वारा पुलिस लाइन खीरी से “यातायात जागरूकता बाइक रैली” को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक खीरी, क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी यातायात, टीएसआई, आरटीओ, याताताय पुलिस कर्मी व गांधी इण्टर कालेज, धर्मसभा इण्टर कालेज, स्वामी श्याम प्रकाश इण्टर कालेज, सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इन्टर कालेज, राजकीय इन्टर कालेज, लखीमपुर खीरी के विद्यालयों के लगभग 425 छात्र-छात्राओं, एनसीसी कैडेटों, यातायात वालन्टियर, उपरोक्त विद्यालयों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं ने प्रतिभाग किया। प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं एनसीसी कैडेटों को यातायात सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए बताया गया कि मोटर साइकिल चलाते समय हेलमेट/चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य धारण करें,वाहनों को कभी भी तेज गति में न चलायें, नशे की हालत में वाहन न चलायें, हमेशा अपने बायें चलें, उतावलेपन से वाहन न चलायें, चौराहा पार करते समय पहले दाहिने व बांयें देखकर ही आगे बढ़ें, स्टंट बाइकिंग न करें, प्रेशर हार्न, मोडीफाइड साइलेंसर का प्रयोग न करें एवं जेब्रा लाइन एवं यातायात नियमों का पालन अवश्य करें, प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं एनसीसी कैडेटों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु शपथ दिलायी गयी एवं सड़क सुरक्षा जागरुकता रैली को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, द्वारा हरी झण्डी दिखाकर पुलिस लाइन से रवाना किया गया जिसमें सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इन्टर कालेज छात्राओं एवं धर्मसभा इण्टर कालेज के एनसीसी कैडेटों द्वारा साज सज्जा के साथ बैण्ड के धुन के साथ जीआईसी मोंड, अस्पताल तिराहा, थरवरनगंज, सदर चौराहा, हमदर्द तिराहा, बिलोबी हाल, लोहिया भवन चौराहा से पुलिस लाइन में सम्पन्न हुआ।

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा, 04 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.11.2022 को थाना सिंगाही पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 306/2022 धारा 147/148/307/353/332/342/323/504/272 IPC व 60(2) EX ACT में वांछित अभियुक्त 1.जोगेन्द्र पुत्र हफीजउल्ला 2.जुबराती पुत्र सत्तार 3.राजेश पुत्र बिहारी 4.वारिश उर्फ सत्तू पुत्र मन्ना को बंगलहा तकिया तिराहा थाना सिंगाही खीरी से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगणों की निशांदेही पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित आला हथियार (एक अदद लोहे की राड) तथा 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब 15 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची देशी शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

दिनांक 30.10.2022 को हे0का0 अबरार हुसैन हाल तैनाती चौकी पढ़ुआ थाना निघासन जनपद खीरी ने मय हमराही का0 आलोक कुमार, का0 नीरज कुमार, का0 अनुज कुमार थाना निघासन जनपद खीरी के थाना सिंगाही उपस्थित आकर एक किता तहरीर बाबत विपक्षीगणो द्वारा यूरिया का प्रयोग करते हुये अवैध कच्ची शराब बनाने तथा पुलिस वालो द्वारा पकड़े जाने पर अन्य साथियो को बुलाकर जान से मारने की नियत से, सरकारी कार्य में बाधा डालते हुये पुलिस वालो को घेर कर बन्धक बनाकर गाली गलौज करते हुये मारने पीटने के सम्बन्ध में दाखिल किया था जिसके आधार पर थाना सिंगाही पर मु0अ0सं0 306/2022 धारा 147/148/307/353/332/342/323/504/272 IPC व 60(2) EX ACT पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त गण 1.बैठुकिया उर्फ मुकेश पुत्र मैकूलाल 2. इसपाक पुत्र जुबराती निवासीगण ग्राम बथुआ टांडा थाना सिंगाही खीरी का नाम प्रकाश में आया व साक्ष्य संकलन से धारा 34/149 भादवि0 की बढोत्तरी की गई, जिसके सम्बन्ध में आज दिनांक 01.11.2022 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.राजेश पुत्र बिहारी 2.वारिश उर्फ सत्तू पुत्र मन्ना 3.बैठुकिया उर्फ मुकेश पुत्र मैकूलाल 4.इशपाक पुत्र जुबराती उपरोक्त को बंगलहा तकिया तिराहा थाना सिंगाही खीरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की राड बरामद किया गया। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब 15 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची देशी शराब मय शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. राजेश पुत्र बिहारी निवासी ग्राम बथुआ टाण्डा थाना सिंगाही जनपद खीरी
2. वारिश उर्फ सत्तू पुत्र मन्ना निवासी ग्राम बथुआ टाण्डा थाना सिंगाही जनपद खीरी
3. बैठुकिया उर्फ मुकेश पुत्र मैकूलाल निवासी ग्राम बथुआ टाण्डा थाना सिंगाही जनपद खीरी
4. इशपाक पुत्र जुबराती निवासी ग्राम बथुआ टाण्डा थाना सिंगाही जनपद खीरी

<u>अभियुक्त राजेश पुत्र बिहारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास</u>

1. मु0अ0सं0 306/2022 धारा 34/147/148/149/307/353/332/342/323/504/272 IPC व 60(2) EX ACT थाना सिंगाही खीरी
2. मु0अ0सं0 269/2022 धारा 60(2) EX ACT थाना सिंगाही खीरी ।
3. मु0अ0सं0 348/2021 धारा 4/25 Arms Act थाना सिंगाही खीरी ।
4. मु0अ0सं0 347/2021 धारा 60 EX ACT थाना सिंगाही खीरी ।
5. मु0अ0सं0 136/2021 धारा 60 EX ACT थाना सिंगाही खीरी ।
6. मु0अ0सं0 01/2020 धारा 60(2) EX ACT थाना सिंगाही खीरी ।
7. मु0अ0सं0 226/2018 धारा 60(2) EX ACT थाना सिंगाही खीरी ।

<u>अभियुक्त बैठुकिया उर्फ मुकेश पुत्र मैकूलाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास</u>

1. मु0अ0सं0 306/2022 धारा 34/147/148/149/307/353/332/342/323/504/272 IPC व 60(2) EX ACT थाना सिंगाही खीरी ।
2. मु0अ0सं0 61/2022 धारा 60 EX.ACT थाना सिंगाही खीरी ।
3. मु0अ0सं0 443/2020 धारा 60(2) EX.ACT थाना सिंगाही खीरी ।
4. मु0अ0सं0 137/2021 धारा 60 EX.ACT थाना सिंगाही खीरी ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 संजीत तिवारी, थाना सिंगाही
2. का0 माधव यादव
3. का0 दुष्यन्त यादव
4. का0 विकास कुमार
5. का0 मो0 उमर
6. का0 आशुतोष गुप्ता

<u>वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी</u>

1. थाना मैलानी पुलिस द्वारा अ0सं0 4260/22 धारा 323/504 भादवि में वारण्टी अभियुक्त शिवचरन पुत्र बैजनाथ नि0 गजाघरपुर थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2. थाना पसगवां पुलिस द्वारा अ0सं0 748/15 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट में वारण्टी अभियुक्त नशीम पुत्र सरीफ शाह नि0 सिपरहा थाना पसगवां जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

3. थाना पसगवां पुलिस द्वारा अ0सं0 22/14 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वारण्टी अभियुक्त सर्वेश उर्फ पोघा पुत्र राधेश्याम नि0 विजयनगर कस्बा बरबर थाना पसगवां जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

4. थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अ0सं0 801/15 धारा 307 भादवि में वारण्टी अभियुक्त साबिर पुत्र मंगू नि0 कस्बा व थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 40 लीटर अवैध शराब बरामद कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>40 लीटर अवैध</u>** कच्ची शराब व **<u>02 शराब भट्टी</u>** बरामद कर **<u>2 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>02 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए।